न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 223 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 30.08.2018

1. ललिता पत्नि बद्रीलाल जाति कुमावत निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. रामचन्द पिता बगदीराम जाति कुम्हार निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. रघुनाथ पिता नन्दा जाति चमार निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. तहसीलदार अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
3. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर प्रतापगढ तहसील व जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
प्रकरण संख्या 65/2015 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.06.2017

उपस्थित– 1. यशवन्तपुरी गोस्वामी –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. छोगालाल जाट –रेस्पोडेन्ट–1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2 व 3

निर्णय **दिनांक 28.02.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा अरनोद तहसील अरनोद की खाता सं. 724 आराजी नम्बर 1721 रकबा 0.70 हैक्टेयर दर्ज है। जिस पर रेस्पोडेन्ट वादी खातेदार व कब्जेदार है। उक्त आराजी के पुराने आराजी नम्बर 1372 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा था जो पूर्व मे कन्हैयालाल पिता ऊंकारलाल चमार निवासी अरनोद के नाम

कर दूंगा। तब से पुराने रेकार्ड अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी मौके पर रेस्पोडेन्ट वादी मौके पर मालिक व काबिज है। लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान उक्त पुराने रकबे मे से 0.09 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज किया है। 3 बीघा 16 बिस्वा नवीन नाप रकबे से तुलना करने पर उक्त पुराने रकबे का कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर होना चाहिये था। जो वर्तमान मे 0.70 हैक्टेयर रकबा ही दर्ज है। जो पुराने रकबे के मुकाबले मे 0.09 हैक्टेयर कम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट वादी नवीन आराजी नम्बर 1721 पूर्व दिशा मे आराजी नम्बर 1720 रकबा 1.08 हैक्टेयर दर्ज है जो वर्तमान मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम खाता सं. 745 मे दर्ज हैं। आराजी नम्बर 1720 पुराने आराजी नम्बर 1373 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा से मिलकर बना है जिसका वर्तमान रेकार्ड से तुलना करे तो उक्त रकबा 0.91 हैक्टेयर होना चाहिये जो 1.08 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है जो पुराने रकबे की तुलना मे 0.17 हैक्टेयर अधिक दर्ज है। रेस्पोडेन्ट वादी आराजी नम्बर 1721 जो रकबा 0.09 हैक्टेयर रकबे की कमी पूर्ती आराजी नम्बर 1720 मे दर्ज अधिक रकबे से पुरी की जावे। आराजी नम्बर 1720 रकबा 1.08 हैक्टेयर मे से 0.09 हैक्टेयर पश्चिम दिशा का रकबा जो आराजी नम्बर 1721 से लगता हुआ है को कम किया जाकर रेस्पोडेन्ट वादी के नाम दर्ज किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रकबे मे तरमीम किया जावे। रेस्पोडेन्ट वादी को उक्त कमी पूर्ती कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। अपीलान्ट सं. 3 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 18.04.2017 को जवाबदावा प्रस्तुत नही किया जिससे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद किसी प्रकार का जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से व उपस्थित नही होने से जवाब का अवसर बन्द किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की साक्ष्य लिवाई जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होने से डिक्री किया गया।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर अपील

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश एक पक्षीय होना बताते हुए व रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी ने पंजीकृत बहनामे से 0.70 हैक्टेयर भूमि क्रय करना बताते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को वाद प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नही था। फिर भी रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी ने गलत वादपत्र प्रस्तुत कर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री करवाया दिया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एक पक्षीय होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण की प्रोपर तामील हुई व अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 15.10.2015 को जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दर्ज हुई। व पत्रावली मे दिनांक 28.01.2016 तक जवाबदावा हेतु नियमित पेशी दी गई। उसके पश्चात् भी दिनांक 18.04.2017 तक कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से जवाबदावा बन्द होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की साक्ष्य लिवाई जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया। अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपनी बहस मे यह आपत्ति उठाई है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने 0.70 हैक्टेयर भूमि क्रय की है। ऐसी स्थिति मे 0.70 हैक्टेयर भूमि वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को वाद लाने का अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत बहनामा दिनांक 21.01.1989 के पेज नम्बर 2 मे अंकित किया गया है कि उक्त बहनामा की गई आराजी नये रकबे मे 0.11 हैक्टेयर कम हो गई है जो आप क्रेता पुराने रेकार्ड व खाते अनुसार जो मौके पर पुराना रकबा है उस अनुसार दुरस्ती की कार्यवाही करा लेवे इसमे विक्रेता के सहयोग की आवश्यकता हुई तो विक्रेता क्रेता के साथ रहकर अंकित करा देगा। नवीन आराजी नम्बर 1721 के पुराने आराजी नम्बर 1372 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा रहा है। जिसका नवीन नाप से 0.79 हैक्टेयर रकबा बनता है फिर भी भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने 0.09 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज कर 0.09 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज कर नवीन आराजी नम्बर 1720 जिसके साबिक आराजी नम्बर 1373 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा रकबा था । जिसका नवीन नाप से 0.91 हैक्टेयर रकबा ही बनता है। फिर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को वैधानिक व कानूनी प्रक्रिया के तहत पारित किया जाना बताते हुए अपीलान्टगण की अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को प्रतिवादी कायम किया जाकर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 3 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। व जवाब हेतु निरन्तर 13 बार पेशियां तब्दील कराई गई। उसके पश्चात् भी कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेन्ट वादी की साक्ष्य लिवाई जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यो से वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने आपत्ति की है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को कमी रकबे का वाद लाने का अधिकार नही है। जबकि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत बहनामा दिनांक 21.01.89 के पृष्ठ सं. 2 पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को कमी रकबे का वाद लाने का अधिकार विक्रेता खातेदार ने दिया है। उसी अधिकार के तहत रेस्पोडेन्ट वादी ने वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने विधिपूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अवैधानिकता या अनियमितता होना नही पाया जाता है। अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत अपील मे उठाये गये उजरात न्यायसंगत नही होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 3 व 4 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी अरनोद प्रकरण संख्या 65/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 यथावत रखाई जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस.

अपील सं. 223/18 /डिक्री

(1) श्री ललिता पति कन्हैयालाल जाति कुमावत बनाम
निवासी अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
(2) रामचन्द्र पिता बगदीराम जाति कुम्हार
निवासी अरनोद तहसील अरनोद
जिला प्रतापगढ़

(1) श्री रघुनाथ पिता नन्दा जाति
चमार निवासी अरनोद तहसील
अरनोद जिला प्रतापगढ़
(2) तहसीलदार अरनोद तहसील अरनोद
जिला प्रतापगढ़
(3) राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ तहसील व जिला प्रतापगढ़

-अपीलान्ट -रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, अरनोद दि. 30-6-2017
प्रकरण सं. 65/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA, 136 LRA रा.का.अ. 1955
निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 28-2-2022 को अपीलान्ट की ओर से
अधिवक्ता श्री भगवन्तपुरी गोस्वामी रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री देवीलाल जाट रेस्पोडेन्ट-1
की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलान्ट गण की प्रतिवादी सं. 3 व 4 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी अरनोद प्रकरण संख्या 65/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 30-6-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-6-2017 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....Nil.... रुपये हैं,
....Nil.... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....Nil.... द्वारा
दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 28-2-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस.)